

बुद्धि नाथ चौधरी एवं अन्य

बनाम

अबही कुमार एवं अन्य

21 फरवरी, 2001

[एस. राजेंद्र बाबू एवं एस.एन. फूकन, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि:

मोटर वाहन निरीक्षक—की नियुक्ति—भर्ती नियमावली में एक निश्चित अवधि के अनुभव का प्रावधान था—हालांकि, आवश्यक अनुभव के बिना कुछ उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया—की वैधता—अभिनिर्धारित: मोटर वाहन निरीक्षक लंबे समय से सेवा में हैं—भर्ती के समय अनुभव की कमी को पूरा कर लिया गया है—अतः, नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

मोटर वाहन निरीक्षक—की नियुक्ति—राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के अनुसरण में—की चुनौती—उच्च न्यायालय ने परिवहन आयुक्त को चयन की सत्यता की जांच करने का निर्देश दिया—की वैधता—अभिनिर्धारित, चयन और नियुक्ति का मामला परिवहन आयुक्त को नहीं सौंपा जा सकता, जब आयोग ने एक स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में उम्मीदवारों का चयन किया हो—यदि चयन अनुचित था तो इसे अपास्त किया जा सकता था या अधिक से अधिक सरकार को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जा सकता था—अतः, उच्च न्यायालय का निर्देश अपास्त किया जाता है।

अपीलकर्ताओं का चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा मोटर वाहन निरीक्षकों के रूप में किया गया था। उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर कर अपीलकर्ताओं की नियुक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी कि उनके पास आवश्यक अनुभव नहीं था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने परिवहन आयुक्त को उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए तर्कों की जांच करने का निर्देश दिया। हालांकि, खंडपीठ ने परिवहन आयुक्त द्वारा भेजी गई प्रतिवेदन को अपास्त कर दिया और परिवहन आयुक्त द्वारा मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। अतः यह अपील है।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

अभिनिर्धारित: 1. चयन और किसी पद पर नियुक्ति का मामला परिवहन आयुक्त को नहीं सौंपा जा सकता था, जब राज्य लोक सेवा आयोग को विशेष रूप से ऐसे कार्य का जिम्मा सौंपा गया था और ऐसे आयोग ने, जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त एक स्वायत्त प्राधिकरण है, उन उम्मीदवारों का चयन किया था जिनकी नियुक्तियां चुनौती के घेरे में थीं। यदि इन उम्मीदवारों का चयन अनुचित था, तो चयन की प्रक्रिया को फिर से करने के उचित निर्देशों के साथ इसे अपास्त कर दिया जाना चाहिए था, या अधिक से अधिक, उच्च न्यायालय सरकार को, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी है, इस मामले में उचित कदम उठाने का निर्देश दे सकता था। [21-बी-सी]

2. चयनित उम्मीदवार, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, अब एक दशक से अधिक समय से मोटर वाहन निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। अब जबकि उन्होंने लंबे समय तक ऐसे पदों पर कार्य कर लिया है, तो निश्चित रूप से उन्होंने आवश्यक अनुभव प्राप्त कर लिया होगा। भर्ती के समय अनुभव की कमी, यदि कोई थी, तो वह अब पूरी हो गई है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित नए अभ्यास (जांच) से केवल विसंगतिपूर्ण परिणाम ही निकलेंगे। चयन के अनुसरण में बहुत पहले की गई नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। [21-ई;एच]

*राम सरूप बनाम हरियाणा राज्य*, [1979] 1 एससीसी 168; *जिला समाहर्ता एवं अध्यक्ष, विजयनगरम सोशल वेलफेयर स्कूल सोसाइटी बनाम एम. त्रिपुरा सुंदरी देवी*, [1990] 3 एससीसी 655 और *एच.सी. पुट्टास्वामी बनाम माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश*, [1991] पूरक 2 एससीसी 421, पर अवलंबन किया गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2001 का दीवानी अपील संख्या 1397

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 776, वर्ष 1999 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 6.1.2000 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2001 की दीवानी अपील संख्या 1398 और 1399

उपस्थित पक्षकारों की ओर से पी.एस. मिश्रा, आर.के. जैन, पी.पी. राव, के.के. मिश्रा, उपेंद्र मिश्रा, विष्णु शर्मा, अनिल के. झा, अरविंद कुमार, सुश्री निरंजना सिंह, वी.बी. जोशी, सुश्री श्वेता शर्मा, साकेत सिंह, नवीन प्रकाश, अखिलेश कुमार पांडेय और बी.बी. सिंह।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

**राजेन्द्र बाबू, न्यायमूर्ति :** अनुमति प्रदान की गई।

इन मामलों में, बिहार लोक सेवा आयोग [जिसे इसके बाद 'आयोग' कहा गया है] द्वारा 12.5.1989 को जारी विज्ञापन के अनुसरण में अपीलकर्ताओं का चयन मोटर वाहन निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए किया गया था। विज्ञापन में यह दर्शाया गया था कि निम्नलिखित योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं:

"*योग्यता:-* (आवश्यक न्यूनतम तकनीकी योग्यता-शैक्षणिक योग्यता)।

(क) प्रवेशिका

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से तीन वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक होगा।

(ग) ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक या पोस्ट डिप्लोमा धारक को वरीयता दी जाएगी।

नोट:- ऐसे उम्मीदवार, जिनके पास मोटर ट्रेड से संबंधित मैकेनिक स्तर की योग्यता है, सक्षम (पात्र) नहीं होंगे।

*अनुभव:-*

(क) उन उम्मीदवारों के लिए, जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का तीन वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद डिप्लोमा प्राप्त किया है, उनके पास कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कार्यशाला में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना अनिवार्य है।

(ख) ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने अनिवार्य रूप से तीन वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया है, उनके पास कारखाना अधिनियम के

तहत पंजीकृत किसी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग संस्थान में पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

(ग) ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पोस्ट डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों के पास कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग संस्थान की कार्यशाला में अनिवार्य रूप से दो वर्ष का व्यावहारिक कार्य अनुभव होना चाहिए।"

जब चयन की प्रक्रिया लंबित थी, भर्ती नियमावली में एक नया नियम पेश किया गया था जिसके तहत मोटर वाहन निरीक्षक के रूप में चयनित होने वाले व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक था। आयोग द्वारा किए गए चयन के अनुसरण में, अपीलकर्ताओं को वर्ष 1991 में मोटर वाहन निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और वे आज तक उक्त पदों पर बने हुए हैं।

इस आधार पर कि चयनित उम्मीदवारों के पास कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत किसी उपयुक्त ऑटोमोबाइल संस्थान में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता या अनुभव नहीं था, अथवा उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उनकी नियुक्तियों को कुछ ऐसे उम्मीदवारों द्वारा कई विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई जिनका चयन नहीं हुआ था। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश, जिन्होंने इन विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं पर सुनवाई की, उन्होंने प्रत्येक चयनित उम्मीदवार के संदर्भ में विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवादास्पद बिंदुओं की आवश्यक विस्तार से जांच नहीं की, बल्कि परिवहन आयुक्त को यह कार्य करने का निर्देश दिया। अपील किए जाने पर, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण में परिवहन आयुक्त द्वारा भेजी गई उस प्रतिवेदन को अपास्त कर दिया जो अपील के लंबित रहने के दौरान प्राप्त हुई थी, और परिवहन आयुक्त को इस मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।

हमें यह समझने में कठिनाई हो रही है कि किसी पद पर चयन और नियुक्ति का मामला परिवहन आयुक्त को कैसे सौंपा जा सकता था, जबकि विशेष रूप से आयोग को ही ऐसा कार्य सौंपा गया था और उस आयोग ने, जो संवैधानिक दर्जा रखने वाला एक स्वायत्त प्राधिकरण है, उन उम्मीदवारों का चयन किया था जिनकी नियुक्तियाँ चुनौती के अधीन थीं। यदि इन उम्मीदवारों का चयन अनुचित था, तो चयन की प्रक्रिया को फिर से करने के उचित निर्देशों के साथ उसे अपास्त कर दिया जाना चाहिए था, या अधिक से अधिक, उच्च न्यायालय सरकार को, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी है, इस मामले में उचित कदम उठाने का निर्देश दे सकता था।

हालांकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमें इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और न ही हमें दोनों पक्षों द्वारा दिए गए विभिन्न विस्तृत तर्कों की जांच करने की आवश्यकता है। इतना कहना ही पर्याप्त है कि एक को छोड़कर, रोजगार में लगे सभी चयनित उम्मीदवार आवश्यक योग्यता रखते हैं और उस एक अपवादित उम्मीदवार के संबंध में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके पास समकक्ष योग्यता है। इस प्रकार विवाद केवल एक पहलू तक सीमित हो जाता है, वह यह कि चयनित उम्मीदवारों के पास आवश्यक अनुभव नहीं हो सकता है, जिसकी जांच अब परिवहन आयुक्त द्वारा की जानी है।

चयनित उम्मीदवार, जिन्हें नियुक्त किया गया है, अब एक दशक से अधिक समय से मोटर वाहन निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। चूंकि उन्होंने इतने लंबे समय तक ऐसे पदों पर कार्य किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपेक्षित अनुभव प्राप्त कर लिया होगा। भर्ती के समय अनुभव की कमी, यदि कोई थी, उसकी पूर्ति अब हो गई है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित नई कवायद केवल विसंगतिपूर्ण परिणामों की ओर ले जाएगी। चूंकि हम इन मामलों का निपटारा साम्यिक प्रतिफल के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए प्रतिपक्षी उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनकी नियुक्ति के मामलों पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट नहीं है कि मोटर वाहन निरीक्षकों के पद के लिए कोई रिक्ति है या नहीं। यदि ऐसा है, तो जब तक कि चयनित उम्मीदवारों में से किसी एक या अधिक को हटाया नहीं जाता, प्रतिपक्षी उत्तरदाताओं के मामलों पर विचार नहीं किया जा सकता। हमें लगता है कि व्यावहारिक कारणों से ऐसा समायोजन संभव नहीं है। हमने उन चयनित उम्मीदवारों के प्रति साम्यिक दृष्टिकोण अपनाया है जिन्होंने लंबे समय तक पद पर कार्य किया है, लेकिन प्रतिपक्षी उत्तरदाता उस श्रेणी में नहीं आते हैं। हमारे निष्कर्ष का प्रभाव यह है कि चयन के अनुसरण में बहुत पहले की गई नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय के कई निर्णयों से प्राप्त किया जा सकता है, जिनमें *राम सरूप बनाम हरियाणा राज्य व अन्य* [1979] 1 एससीसी 168; *जिला समाहर्ता एवं अध्यक्ष, विजयनगरम सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी, विजयनगरम व एक अन्य बनाम एम. त्रिपुरा सुंदरी देवी* [1990] 3 एससीसी 655; और *एच.सी. पुट्टास्वामी व अन्य बनाम माननीय मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलोर व अन्य* [1991] पूरक 2 एससीसी 421 के निर्णय शामिल हैं। इसलिए, हमें इन मामलों को यथास्थिति में ही रहने देना चाहिए।

इस मामले की विशेष परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हैं और विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं को खारिज करते हैं। अतः, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। कोई लागत नहीं।

वी.एस.एस

अपीलें स्वीकार की जाती हैं

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।